"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2017 —— वैशाख 8, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2017

अतिरिक्त आदेश

क्रमांक एफ-9-2/2017/1/5. — राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2017 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के परिपालन में सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देशों, उपायों एवं अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) की अध्यक्षता में पूर्णकालिक रूप से सड़क सुरक्षा कार्य हेतु 08 सदस्यीय अंतर्विभागीय लीड एजेंसी का गठन किया गया है.

2. उक्त लीड एजेंसी के कार्य सुचारू रूप संचालन हो, इस उद्देश्य से निम्नानुसार शर्त जोड़ा जाता है :-

"किसी अधिकारी की पदस्थापना अन्यत्र होने पर संबंधित विभाग द्वारा अन्य अधिकारी को नामांकित कर अध्यक्ष, लीड एजेंसी को सूचित किया जाएगा."

3. शेष लीड एजेंसी के कार्य पूर्वानुसार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मेरी खेस्स, अवर सचिव.

सड़क सुरक्षा कार्य के लिए लीड एजेंसी हेतु नामांकित अधिकारियों की सूची

1. श्री अभिषेक शांडिल्य, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात), पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर.
2. डॉ. राजेश शर्मा, उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर.
3. श्री डी. एस. ध्रुव, सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर.
4. श्री एन. एस. राठौर, कार्यपालन अभियंता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.
5. श्री व्ही. के. शुक्ला, अधीक्षण अभियंता, नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग, रायपुर.
6. श्री अनिमेष नेताम, उपायुक्त आबकारी, रायपुर.
7. श्री जगमोहन रावत, सहा. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ कार्यालय, रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.